

कार्यालय रिपोर्ट

1- नगरपालिका कलानौर क्षेत्र में स्वीकृत/प्रस्तावित कालोनियों में विकास कार्य करवाने से पूर्व आमजन को अवगत करवाने बारे।

विषयाधीन मामले में हरियाणा सरकार द्वारा नगरपालिका कलानौर क्षेत्र में कालोनियाँ स्वीकृत की गई है/ प्रस्तावित है, जिसमें नगरपालिका कलानौर द्वारा विभिन्न विकास कार्य जैसे गलियों का निर्माण, स्ट्रीट लाईट लगाना इत्यादि कार्य करवाये जाने प्रस्तावित है। इस बारे गलियों का विवरण व किले/खसरे का विवरण इत्यादि नगरपालिका कलानौर कार्यालय में उपलब्ध है। उक्त बारे व्यक्ति विशेष, प्रोपर्टी डीलर, संस्था व आमजन से दिनांक 16 अगस्त 2024 साय: 05 बजे तक लिखित में तथ्यों एवं सबूतों सहित अपनी आपति व दावे प्रस्तुत करने बारे समाचार- पत्र व मुनादी के माध्यम से सूचित किया जाना उचित होगा ताकि भविष्य में स्वीकृत/प्रस्तावित कालोनियों में करवाये जाने वाले विकास कार्य बारे नगरपालिका कलानौर कार्यालय को किसी भी प्रकार की समस्या/शिकायत का सामना ना करना पड़े और नगरपालिका कलानौर कार्यालय द्वारा सूचारु रूप से विकास कार्य करवाये जा सकें।

As proposed, submitted for approvals/orders, please

(P.L.)

secy



LS/Admin



The Director,  
Information Public Relations and Languages Department,  
Design Building, Near Art College,  
Sector-10, Chandigarh.

Memo No:- MCK/2024/ 3416.


Date:- 02/08/2024.

**Subject:- Publication of Public Notice.**

Please find enclosed herewith copy of the Public Notice for publication in maximum two newspaper at least one small/medium newspaper with local/regional editions as per latest guidelines of Haryana Government.

The advertisement bill for the agencies as mentioned above may be arranged accordingly. This office will not be responsible for making payment of any extra bill.

The publication of above public notice may be got done on priority basis please.


  
Secretary,  
Municipal Committee,  
Kalanaur.

Endst No:- MCK/2024/3417-21.

Date:- 02/08/2024

Copy of the above is forwarded to the following for information and necessary action:-

1. District Municipal Commissioner, Rohtak.
2. Administrator, M.C.Kalanaur cum SDM, Rohtak.
3. Tehsildar Kalanaur
4. Notice Borad/Munadi.
5. Municipal Committee, Website.

  
Secretary,  
Municipal Committee,  
Kalanaur.

## सार्वजनिक सूचना/मुनादी

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि हरियाणा सरकार द्वारा नगरपालिका कलानौर क्षेत्र में कालोनियाँ स्वीकृत की गई है/ प्रस्तावित है, जिसमें नगरपालिका कलानौर द्वारा विभिन्न विकास कार्य जैसे गलियों का निर्माण, स्ट्रीट लाईट लगाना इत्यादि कार्य करवाये जाने प्रस्तावित है। इस बारे गलियों का विवरण व किले/खसरे का विवरण इत्यादि नगरपालिका कलानौर कार्यालय में उपलब्ध है। अगर किसी व्यक्ति विशेष, प्रोपर्टी डीलर, संस्था व आमजन को कोई आपति है तो दिनांक 16 अगस्त 2024 साय: 05 बजे तक लिखित में तथ्यों एवं सबूतों सहित अपनी आपति नगरपालिका कलानौर कार्यालय में दर्ज करवा सकते हैं। उक्त तिथि उपरांत किसी भी प्रकार की आपति व दावे स्वीकृत नहीं किये जाएंगे।

सूचित रहे।



सचिव  
नगरपालिका कलानौर।

बीएसई  
1,235.08  
75,838.36

एनएसई  
320.10  
23,024.65

# कारोबार

र उजाला

किलो चरस के साथ  
तस्कर गिरफ्तार

रेलवे पुलिस) ने पश्चिम एक्सप्रेस के प्रथम श्रेणी वातानुकूलित कोच से एक व्यक्ति को 6.860 किलो चरस के साथ गिरफ्तार किया है। उसकी पहचान जम्मू-कश्मीर के

ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। आरोपी ने बताया कि वो जम्मू-कश्मीर से चरस लेकर मुंबई और गोवा जाता था।

MUNICIPAL COMMITTEE, KALANAUR नगरपालिका कलानौर

E-mail ID-secy-kalanaur@ulbharyana.gov.in Off Tel. No. 01258-299022, 299422

सार्वजनिक सूचना (नगरपालिका कलानौर)

Subject :- Regarding declaration of Streets under public use as Public Streets.

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि निदेशालय के पत्र क्रमांक DULB/LB/A- II/2024/Ambala/822 दिनांक 13.01.2025 की अनुपालना में नगरपालिका कलानौर सीमा में स्थित आमजन के लिए प्रयोग होने वाली सभी गलियों (आबादी देह/लाल डोरे, वर्ष 2004, वर्ष 2014 व वर्ष 2024 में स्वीकृत कालोनियों व 5 प्रस्तावित कालोनियों एवं शेष खंड (Patches) इत्यादि के अधीन आने वाली सभी गलियों) को सार्वजनिक गली (Public Streets) घोषित किया जाना है। उक्त बारे किसी आमजन द्वारा किसी गली को सार्वजनिक गली (Public Streets) घोषित करने में कोई आपति / एतराज व दावा है, तो नगरपालिका कलानौर कार्यालय में दिनांक 21.01.2025 से दिनांक 20.02.2025 के मध्य दस्तावेजों सहित अपनी आपति / एतराज व दावा दर्ज करवा सकता है। उक्त दिनांक उपरांत किसी भी प्रकार की आपति / एतराज व दावा स्वीकार नहीं किये जाएंगे।

सूचित रहे।

प्रशासक, नगरपालिका कलानौर -कम-  
उप मण्डल अधिकारी (ना०), रोहतक।

सचिव  
नगरपालिका  
कलानौर।

SAMVAD:- 1078/11/610/2025/31918/C/1/6 Dt. 21/01/2025



हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग

बेय नं. 33-36, सेक्टर-4, पंचकूला-134109

टेलीफोन नं. 0172-2582531; फैक्स नं. 0172-2572359

वेबसाइट: <http://herc.gov.in>

गई है।

20.02.2025 के मध्य कार्यालय में दिनांक 21.01.2025 से दावा है, तो।



राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान हमीरपुर  
हमीरपुर (हि.प्र.)-177 005 (भारत)

(भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय के तहत एक राष्ट्रीय महत्व का संस्थान)  
NATIONAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY HAMIRPUR  
HAMIRPUR (H.P.)-177 005 (INDIA)

(An Institute of National Importance under Ministry of Education (Shiksha Mantralaya)

OFFICE OF THE REGISTRAR

Advertisement No. Admn-02/2025/08-13

Dated: 21-01-2025

**WALK-IN-INTERVIEW FOR RECRUITMENT OF  
TEMPORARY FACULTY**  
(Purely on Contract Basis with Consolidated Salary)

National Institute of Technology Hamirpur (HP) intends to recruit Temporary Faculty (Purely on Contract basis with consolidated salary) on semester basis with a provision of extension upto one year in civil Engineering Department through Walk-in-Interview. The interested eligible candidates may please visit the Institute website [www.nith.ac.in](http://www.nith.ac.in) for more details and further updates.

REGISTRAR



उदयपुर विकास प्राधिकरण, राजस्थान

No. :- F-2(01)Acct/Contract/2024-25/246 - 248

Date : 20/01/2025

ई-निविदा सूचना संख्या : 67/2024-25

उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर द्वारा निम्नलिखित कार्यो मय डिफेक्ट लाईबिलिटी अवधि के लिये जो कि निविदा प्रपत्र में अंकित है के लिये उपयुक्त श्रेणी में पंजीकृत संवेदको से निर्धारित प्रपत्र में ई-टेण्डरिंग के माध्यम से ऑनलाईन निविदा आमंत्रित की जाती है :-

निविदा कार्यों की कुल लागत	रुपये 565.12 लाख (12 कार्य)
ऑनलाईन निविदा प्रपत्र डाउनलोड / अपलोड करने की अवधि	21.01.2025 को प्रातः 10.00 बजे से 31.01.2025 को सांयः 6.00 बजे तक
Online EMD, Tender Fee & Processing Fee जमा कराने की तिथि	21.01.2025 को प्रातः 10.00 बजे से 31.01.2025 को सांयः 6.00 बजे तक
ऑनलाईन निविदा खोलने की तिथि	03.02.2025 को प्रातः 11.00 बजे

विस्तृत विवरण वेबसाइट [urban.rajasthan.gov.in/uitudaipur](http://urban.rajasthan.gov.in/uitudaipur),  
[www.eproc.rajasthan.gov.in](http://www.eproc.rajasthan.gov.in) व [www.sppp.rajasthan.gov.in](http://www.sppp.rajasthan.gov.in) पर देखा जा सकता है।

UBN No. : ITU2425SLOB00448 To ITU2425SLOB00457

राज.संवाद/सी/24/10585

अधिसूची अनियन्ता - द्वितीय  
उदयपुर विकास प्राधिकरण

**प्रदेश में 7 स्थायी लोक अदालतें स्थापित की जाएंगी : नायब सैनी**

चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने प्रदेश में 7 और स्थायी लोक अदालतों की स्थापना के लिए 3 करोड़ 87 लाख से अधिक और जन उपयोगी सेवाओं के लिए 35 लाख रुपये की राशि को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है। प्रवक्ता ने बताया कि जन उपयोगी सेवाओं के लिए 7 और स्थायी लोक अदालतों की स्थापना के साथ, सभी जिलों में अपनी अलग स्थायी लोक अदालतें होंगी। वर्तमान में, फतेहाबाद, जौड़, झज्जर, मेवात, नारनौल और पलवल जिलों के लिए तैयारी



■ चरखी दादरी, फतेहाबाद, जौड़, झज्जर, मेवात, नारनौल और पलवल जिलों के लिए तैयारी



नी में भी बैठक की और श्री कृष्ण लाल पवार, ता दुठवाल, पूर्व मंत्री मनीष ज्ञान चंद गुप्ता अन्य कई सीएम ने साफ कर दिया है रखा होगा।

। पूरी उम्मीद है, हालांकि बजट और संसद के सत्र ही होगा, यह भी तय है। दिव्यांगों, विधवाओं सहित वर्गों की पेंशन बढ़ाने को भी सीएमओ में मंथन हो। हालांकि यह भी तय है कि ल में चिंतन मंथन के बाद मंत्री घोषणाएं बजट सत्र के पदन में करेंगे। अधिकारियों तैयारी कर ली है।

**उत्तर रेलवे**

**ई-नीलामी सूचना**

के राष्ट्रपति की ओर से, वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक, उत्तर रेलवे, छावनी द्वारा ई-नीलामी की जाएगी (टेबल अनुसार)। विवरण वेबसाइट IREPS पर मौजूद है। ई-नीलामी की धरोहर बोली की 5% होगी तथा बोली, कम से कम बोली मूल्य से 0.2% बढ़ा गानी होगी।

की के सं.: UMB-CtgMPS02-25 रेट यूनिट: वार्षिक लाइसेंस प्रारंभ होने की तिथि व समय: 31.01.2025 को 12:00 बजे

लॉट सं. एवं विवरण	नीलामी समाप्त होने की तिथि व समय
Catg-UMB-DUI-GMU-73-24-1 (खान पान जनरल माइनर यूनिट (GMU)) सामान्य श्रेणी के लिए घूरी रेलवे स्टेशन पर 47.40 वर्गमीटर क्षेत्र का जलपान कक्ष (Refreshment Room)	31.01.2025 को 12:30 बजे
MPS-UMB-UMB-MPS-6-25-1 (एमपीएस बहुउद्देश्यीय स्टाल) एमपीएस स्टाल (केवल)	31.01.2025

**सार्वजनिक सूचना**

सर्वसाधारण को इस नोटिस के द्वारा सूचित किया जाता है कि मेरे मुक्किल के द्वारा निम्न कृषि भूमि का बैयनामा प्रस्तावित है :-

5803

मनकि जसपाल गुलिया पुत्र सतपाल पुत्र औमकार, निवासी एवं बिस्वेदार गांव बादली, तहसील बादली, जिला झज्जर (हरियाणा) में अराजी बरूवे इन्द्राज जमाबन्दी वर्ष 2018-19 व इतकाल न० 8550, 8578 त०म०, के अनुसार अराजी खेवट न० 2938 / 2863, खाता न० 3309, मु० न० 291, किला न० 27(0-10), किता 1, तादादी रकबा 0 कनाल 10 मरले का 1/4 भाग, बकदर 0 कनाल 2.5 मरले (0.015625 एकड़) वाका रकबा मौजा बादली, तहसील बादली, जिला झज्जर का मालिक व काबिज है, जिसको बैय किया जा रहा है। जिसका कब्जा मु० न० 291, किला न० 27 मिन (0-2.5), किता 1, तादादी रकबा 0 कनाल 2.5 मरले (0.015625 एकड़) पर दिया जा रहा है।

यदि कोई भी व्यक्ति जो उपरोक्त भूमि में मुखलफाना हक, स्वामित्व, कब्जा या अन्य कोई सम्बन्ध रखता है या किसी को इस बैय पर कोई ऐतराज है तो वह व्यक्ति उपरोक्त भूमि में अपने हक, दावे सम्बन्धी जरूरी दस्तावेजों व साक्ष्य सहित इस विज्ञापित के प्रकाशित होने के 14 दिन के अन्दर अधोहस्ताक्षरित से सम्पर्क करे या भेजे, अन्यथा यह माना जायेगा कि कोई भी व्यक्ति उपरोक्त भूमि में कोई दावा, हक, स्वामित्व, कब्जा या किसी प्रकार का अन्य कोई सम्बन्ध नहीं रखता और मेरा मुक्किल उक्त अराजी के बैय से सम्बन्धित अग्रिम सभी कार्यवाही करेगा।

दिनांक : 21.01.2025

विनय कुमार सैनी  
एडवोकेट,  
द्वितीय तल, म० न०-28, सैक्टर-14,  
गुरुग्राम - 122001  
Mobile: 9810203697  
E-mail: svkgn@yahoo.com

MUNICIPAL COMMITTEE, KALANAUR नगरपालिका कलानौर  
E-mail: id-seey-kalanaur@bharyana.gov.in OFF TEL. NO. 01258-295022, 295422

**सार्वजनिक सूचना/(नगरपालिका कलानौर)**

**Subject:- Regarding declaration of Streets under public use as Public Streets.**

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि निदेशालय के पत्र क्रमांक DULB/LB/A- II/2024/Ambala/822 दिनांक 13.01.2025 की अनुपालना में नगरपालिका कलानौर सीमा में स्थित आमजन के लिए प्रयोग होने वाली सभी गलियों ( आबादी देह / लाल डोरे, वर्ष 2004, वर्ष 2014 व वर्ष 2024 में स्वीकृत कालोनियों व 5 प्रस्तावित कालोनियों एवं शेष खंड {Patches} इत्यादि के अधीन आने वाली सभी गलियाँ ) को सार्वजनिक गली (Public Streets) घोषित किया जाना है। उक्त बारे किसी आमजन द्वारा किसी गली को सार्वजनिक गली (Public Streets) घोषित करने में कोई आपत्ति / एतराज व दावा है, तो नगरपालिका कलानौर कार्यालय में दिनांक 21.01.2025 से दिनांक 20.02.2025 के मध्य दस्तावेजों सहित अपनी आपत्ति / एतराज व दावा दर्ज करवा सकता है। उक्त दिनांक उपरांत किसी भी प्रकार की आपत्ति / एतराज व दावा स्वीकार नहीं किये जाएंगे।

सूचित रहे।

हस्ता/-प्रशासक, नगरपालिका कलानौर-कम- हस्ता/-सचिव  
उप मण्डल अधिकारी (ना०), रोहतक। नगरपालिका कलानौर  
संवाद-1078/11/610/2025/31918/C/88/6 दि. 21.01.2025

**कार्यालय पुलिस अधीक्षक, रोहतक**

अभियोग संख्या 14 दिनांक 18.01.25 धारा 127 (6) BNS 2023  
थाना पुरानी सब्जी मंडी रोहतक।

गुमशुदा की पहचान बारे-

नाम - संगीता  
पिता/पति- पत्नी गोलू  
पता - निवासी म.न. 448/12 पाडा  
मौहस्ता रोहतक  
उम्र- 20 वर्ष  
कट- 5 फुट।  
हृत्निया. - रंग साँवला, मोल चेहरा, पतला शरीर।



**OFFICE OF MUNICIPAL COMMITTEE, KALANAUR**  
**(ROHTAK)**

विषय :- नगरपालिका कलानौर की सामान्य बैठक दिनांक 27.01.2025 की कार्यवाही का अनुमोदन करने बारे।

नगरपालिका कलानौर की सामान्य बैठक जो दिनांक 27.01.2025 को श्री आशीष कुमार, H.C.S., प्रशासक, नगरपालिका कलानौर की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। उक्त बैठक में निम्न प्रस्ताव रखे गये है, जिन्हे सर्व-सम्मति से पास किया गया है।

एजेण्डा बिन्दु	प्रस्ताव	संचिव की टिप्पणी
प्रस्ताव नं० 01. Regarding Declaration of Streets under Public use as Public Streets.	<p>प्रस्ताव नं० 01 :- निदेशालय के पत्र क्रमांक DULB/LB/A-II/2024/Ambala/822 दिनांक 13.01.2025 की अनुपालना में नगरपालिका कलानौर सीमा में स्थित आमजन के लिए प्रयोग होने वाली सभी गलियों (आवादी देह/लाल डोरा, वर्ष 2004, वर्ष 2014 व वर्ष 2024 में स्वीकृत कालोनियों व 5 प्रस्तावित कालोनियों एवं शेष खंड (Patches) इत्यादि के अधीन आने वाली सभी गलियों) को सार्वजनिक गली (Public Streets) घोषित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है, इस बारे आपत्ति एतराज व दावा दर्ज करने के लिए आमजन को मुनादी/समाचार पत्रों/वेबसाईट नोटिस बोर्ड इत्यादि के माध्यम से सूचित किया जाए।</p> <p>ह० अंग्रेजी सचिव, नगरपालिका कलानौर (रोहतक)</p>	<p>ह० अंग्रेजी प्रशासक, नगरपालिका कलानौर- कम-उपमण्डल अधिकारी (ना०), रोहतक।</p> <p>जनहित में करवाया जाना उचित है।</p>
प्रस्ताव नं० 02. CCMS (Centralized Central and Monitoring System) for Street Light के अनुमान सर्वे इत्यादि हेतु Consultant नियुक्त करने की स्वीकृति बारे।	<p>प्रस्ताव नं० 02 :- निदेशालय के पत्र क्रमांक EE-III/DULB/2024/5671 दिनांक 27.12.2024 की अनुपालना में नगरपालिका कलानौर क्षेत्र में लगी सभी Street Lights को CCMS पैनल से जोड़ने के लिए Consultant नियुक्त करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। नगर निगम, रोहतक द्वारा स्वीकृत रेटों पर 3<sup>rd</sup> Isometric Pvt. Ltd. से कार्य करवाने की स्वीकृति एवं खर्च की स्वीकृति प्रदान की जाती है।</p> <p>ह० अंग्रेजी सचिव, नगरपालिका कलानौर (रोहतक)</p>	<p>ह० अंग्रेजी प्रशासक, नगरपालिका कलानौर- कम-उपमण्डल अधिकारी (ना०), रोहतक।</p> <p>पालिका हित में करवाया जाना उचित है।</p>
प्रस्ताव नं० 03. Construction of Aspirational Toilets across in M.C. Kalanaur under Swachh Bharat Mission Urban.	<p>प्रस्ताव नं० 03 :- निदेशालय के पत्र क्रमांक EE-IV/DULB/2024/SBM-62 Dated 31-12-2024 के द्वारा प्राप्त अनुदान राशि मु० 41.34 लाख से नगरपालिका क्षेत्र पार्क बाईपास, डी०ए०वी० चौक, सामुदायिक केन्द्र नजदीक रेलवे लाईन में Aspirational Toilets के निर्माण व आने वाले खर्च की स्वीकृति जनहित में प्रदान की जाती है।</p> <p>ह० अंग्रेजी सचिव, नगरपालिका कलानौर (रोहतक)</p>	<p>ह० अंग्रेजी प्रशासक, नगरपालिका कलानौर- कम-उपमण्डल अधिकारी (ना०), रोहतक।</p> <p>जनहित में करवाया जाना उचित है।</p>
प्रस्ताव नं० 04. Construction of Boundary Wall of Killa No. 191/20 Near Stadium / Dehshesa Ground.	<p>प्रस्ताव नं० 04 :- नगरपालिका हित में नगरपालिका भूमि किला नं० 191//20 नजदीक स्टेडियम दशहरा ग्राऊड की चार दिवारी करने की स्वीकृति एवं खर्च की स्वीकृति प्रदान की जाती है।</p> <p>ह० अंग्रेजी सचिव, नगरपालिका कलानौर (रोहतक)</p>	<p>ह० अंग्रेजी प्रशासक, नगरपालिका कलानौर- कम-उपमण्डल अधिकारी (ना०), रोहतक।</p> <p>पालिका हित में करवाया जाना उचित है।</p>

प्रस्ताव नं० 05. स्वच्छ स्वैक्षण - 2024 हेतु नगरपालिका कलानौर में Wall Painting करवाने बारे।	प्रस्ताव नं० 05 :- स्वच्छ स्वैक्षण - 2024 हेतु नगरपालिका कलानौर में Wall Painting करवाने की स्वीकृति एवं खर्च की स्वीकृति प्रदान की जाती है।	जनहित में करवाया जाना उचित है।
	ह० अंग्रेजी सचिव, नगरपालिका कलानौर (रोहतक)	ह० अंग्रेजी प्रशासक, नगरपालिका कलानौर-कम-उपमण्डल अधिकारी (ना०), रोहतक।
प्रस्ताव नं० 06. स्वच्छ स्वैक्षण - 2024 हेतु नगरपालिका कलानौर में Commercial Area Public Area में इस्टबीन लगवाने/खरीदने बारे।	प्रस्ताव नं० 06 :- स्वच्छ स्वैक्षण - 2024 हेतु नगरपालिका कलानौर में Commercial Area Public Area में इस्टबीन लगवाने/खरीदने की स्वीकृति एवं खर्च की स्वीकृति प्रदान की जाती है।	जनहित में करवाया जाना उचित है।
	ह० अंग्रेजी सचिव, नगरपालिका कलानौर (रोहतक)	ह० अंग्रेजी प्रशासक, नगरपालिका कलानौर-कम-उपमण्डल अधिकारी (ना०), रोहतक।
प्रस्ताव नं० 07. स्वच्छ स्वैक्षण - 2024 हेतु नगरपालिका कलानौर में कार्यरत सफाई कर्मचारियों (पालिका रोल) के लिए PPE कीट खरीदने बारे।	प्रस्ताव नं० 07 :- स्वच्छ स्वैक्षण - 2024 हेतु नगरपालिका कलानौर में कार्यरत सफाई कर्मचारियों (पालिका रोल) के लिए PPE कीट खरीदने की स्वीकृति एवं खर्च की स्वीकृति प्रदान की जाती है।	पालिका हित में करवाया जाना उचित है।
	ह० अंग्रेजी सचिव, नगरपालिका कलानौर (रोहतक)	ह० अंग्रेजी प्रशासक, नगरपालिका कलानौर-कम-उपमण्डल अधिकारी (ना०), रोहतक।
प्रस्ताव नं० 08. स्वच्छ स्वैक्षण - 2024 हेतु नगरपालिका कलानौर में IEC Activity करवाने बारे।	प्रस्ताव नं० 07 :- स्वच्छ स्वैक्षण - 2024 हेतु नगरपालिका कलानौर में IEC Activity जैसे Banners, Pumphlets, Hording, Newspapers, Advt. etc. करवाने की स्वीकृति एवं खर्च की स्वीकृति प्रदान की जाती है।	जनहित में करवाया जाना उचित है।
	ह० अंग्रेजी सचिव, नगरपालिका कलानौर (रोहतक)	ह० अंग्रेजी प्रशासक, नगरपालिका कलानौर-कम-उपमण्डल अधिकारी (ना०), रोहतक।
प्रस्ताव नं० 09. नगरपालिका कलानौर में रखे नाकारा/कण्डम सामान की खुली बोली बारे विचार-विमर्श।	प्रस्ताव नं० 09 :- नगरपालिका कलानौर में रखे नाकारा/कण्डम सामान की खुली बोली करवाने की स्वीकृति एवं खर्च की स्वीकृति प्रदान की जाती है।	पालिका हित में करवाया जाना उचित है।
	ह० अंग्रेजी सचिव, नगरपालिका कलानौर (रोहतक)	ह० अंग्रेजी प्रशासक, नगरपालिका कलानौर-कम-उपमण्डल अधिकारी (ना०), रोहतक।

अंतः उक्त बैठक की कार्यवाही रिपोर्ट आप महोदय की सेवा में अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

W/Adm  
Sefy  
Hans  
M/Dm  
Devt

District Municipal Commissioner  
Rohtak

Scanned with CamScanner

# Proceeding MUNICIPAL

Book  
COMMITTEE

1. Proceedings of the special Meeting held on... 27.01.2025

Name of Members & Address Present  
 Mr. S. S. Srinivas, Chairman, Ward of Station of  
 Ward No. 1.

Serial No. of the Item	Business transacted as per Agenda or on a requisition	Advice if given by the Addressor
1.	Regarding declaration of Streets works Public Use as Public Streets.	
2.	CMS (Centralized Control and Monitoring System) for Street Light & Sewerage No. 50016 E8 (Consultant Report with a report on)	
3.	Construction of Pappan Road Public Access in the reference with South Island Mission Station.	

### RESOLUTION OF THE COMMITTEE

Ward No. 1 of the Municipal Corporation, Bangalore, on 13-01-2025  
 of the Committee of the Corporation, Bangalore, Ward No. 1, has  
 passed the following resolution regarding the Public Use of  
 Streets works as Public Streets. The Committee has  
 resolved to declare the streets mentioned in the list as  
 Public Streets. The Committee has also resolved to  
 refer the matter to the Corporation for its consideration  
 and approval.

Secretary

Deputy Secretary

Kalyanur (Kalyanur)

Ward No. 1

City of Bangalore

13-01-2025

13-01-2025

13-01-2025

13-01-2025

13-01-2025

13-01-2025

13-01-2025

13-01-2025

13-01-2025

13-01-2025

13-01-2025

13-01-2025

13-01-2025

13-01-2025

13-01-2025

13-01-2025

13-01-2025

13-01-2025

13-01-2025

13-01-2025

13-01-2025

13-01-2025

13-01-2025

Secretary

Deputy Secretary

Kalyanur (Kalyanur)

Ward No. 1

City of Bangalore

13-01-2025



# Proceeding MUNICIPAL

## Book COMMITTEE

1. Proceedings of the special Meeting held on .....  
Names of Members & Advisors Present

Serial No. of the item	Business transacted as per Agenda or on a requisition	Advice if given by the Advisors	RESOLUTION OF THE COMMITTEE
44-04	Construction of Boundary Wall of Villana 19/1/20 near Near station/Dehshera ground		<p style="text-align: center;">RESOLUTION OF THE COMMITTEE</p> <p>under the name of work etc.</p> <p>..... Secretary, Municipal Committee Kalanour (Rohitak)</p> <p>..... Administrator Municipal Committee Kalanour-Cum S.D.O. (C) Rohitak</p> <p>..... Secretary, Municipal Committee Kalanour (Rohitak)</p> <p>..... Administrator Municipal Committee Kalanour-Cum S.D.O. (C) Rohitak</p>
44-05	44-5 पार्क ग्राउंड के अग्रिम कार्य के संबंध में कार्यवाही		<p>..... Secretary, Municipal Committee Kalanour (Rohitak)</p> <p>..... Administrator Municipal Committee Kalanour-Cum S.D.O. (C) Rohitak</p> <p>..... Secretary, Municipal Committee Kalanour (Rohitak)</p> <p>..... Administrator Municipal Committee Kalanour-Cum S.D.O. (C) Rohitak</p>
44-06	पार्क ग्राउंड के अग्रिम कार्य के संबंध में कार्यवाही		<p>..... Secretary, Municipal Committee Kalanour (Rohitak)</p> <p>..... Administrator Municipal Committee Kalanour-Cum S.D.O. (C) Rohitak</p> <p>..... Secretary, Municipal Committee Kalanour (Rohitak)</p> <p>..... Administrator Municipal Committee Kalanour-Cum S.D.O. (C) Rohitak</p>



# Proceeding MUNICIPAL

# Book COMMITTEE

1. Proceedings of the special Meeting held on...  
 Names of Members & Advisors Present

Serial No. of the Item	Business transacted as per Agenda or on a requisition	Advice if given by the Advisors	
No. 07	Rate of salary for the members of the committee.	No advice given.	<p style="text-align: center;"><b>RESOLUTION OF THE COMMITTEE</b></p> <p>Rate of salary for the members of the committee shall be Rs. 10,000 per month.</p> <p style="text-align: right;">Secretary Municipal Committee Kolarpur (Ranchi)</p>
No. 08	Rate of salary for the members of the committee.	No advice given.	<p>Rate of salary for the members of the committee shall be Rs. 10,000 per month.</p> <p style="text-align: right;">Secretary Municipal Committee Kolarpur (Ranchi)</p>
No. 09	Rate of salary for the members of the committee.	No advice given.	<p>Rate of salary for the members of the committee shall be Rs. 10,000 per month.</p> <p style="text-align: right;">Secretary Municipal Committee Kolarpur (Ranchi)</p>

## कार्यालय रिपोर्ट

**Subject:- Regarding declaration of Streets under public use as Public Streets.**

उपरोक्त विषय पर निदेशालय के पत्र क्रमांक DULB/LB/A-II/2024/Ambala/822 दिनांक 13.01.2025 की अनुपालना में।

विषयधीन मामले में लिखा जाता है कि संलग्न उक्त पत्र की अनुपालना में नगरपालिका कलानौर द्वारा निम्नलिखित कार्यवाही की जानी है:-

1. Ensure that the resolution is passed by the house (or administrator, if the house is not in existence) to declare the streets as public streets. The resolution must be uploaded on the municipality's website.

2. Display a Public notice at the site providing a 30- day period for submission of claims or objections regarding the declaration of the public street and any objections should be resolved by the respective DMC/CMC.

नगरपालिका कलानौर द्वारा नई स्वीकृत कालोनियों बारे दिनांक 03.08.2024 में को पूर्व में अनापति मांगी गई थी, जिसके समाचार पत्र की प्रति साथ संलग्न है। उक्त बारे कोई भी आपति/एतराज नहीं प्राप्त हुआ था। उक्त पत्र के निर्देशों की अनुपालना में पुनः नगरपालिका कलानौर सीमा में स्थित आमजन के लिए प्रयोग होने वाली गलियों (आबादी देह/लाल डोरे, वर्ष 2004, वर्ष 2014 व वर्ष 2024 में स्वीकृत कालोनियों व 5 प्रस्तावित कालोनियों एवं शेष खंड {Patches} इत्यादि के अधीन आने वाली सभी गलियों) को सार्वजनिक गली घोषित किया जाना प्रस्तावित है। इस बारे प्रस्ताव व Claims o Objections लिये जाने उचित होंगे जिसके लिए निम्न अनुसार दिनांक 22.01.2025 को दो समाचार पत्रों, मुनादी, नगरपालिका वेबसाइट, नोटिस बोर्ड पर चर्चा किया गया था कि "सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि निदेशालय के पत्र क्रमांक DULB/LB/A-II/2024/Ambala/822 दिनांक 13.01.2025 की अनुपालना में नगरपालिका कलानौर सीमा में स्थित आमजन के लिए प्रयोग होने वाली सभी गलियों (आबादी देह/लाल डोरे, वर्ष 2004, वर्ष 2014 व वर्ष 2024 में स्वीकृत कालोनियों व 5 प्रस्तावित कालोनियों एवं शेष खंड {Patches} इत्यादि के अधीन आने वाली सभी गलियों) को सार्वजनिक गली (Public Streets) घोषित किया जाना है। उक्त बारे किसी आमजन द्वारा किसी गली को सार्वजनिक गली (Public Streets) घोषित करने में कोई आपति/एतराज व दावा है, तो नगरपालिका कलानौर कार्यालय में दिनांक 21.01.2025 से दिनांक 20.02.2025 के मध्य दस्तावेजों सहित अपनी आपति/एतराज व दावा दर्ज करवा सकता है। उक्त दिनांक उपरांत किसी भी प्रकार की आपति/एतराज व दावा स्वीकार नहीं किये जाएंगे। सूचित रहे।" परन्तु आज दिनांक 07.03.2025 तक उक्त बारे नगरपालिका कलानौर कार्यालय में किसी आमजन द्वारा किसी गली को सार्वजनिक गली (Public Streets) घोषित करने बारे कोई आपति/एतराज व दावा प्रस्तुत नहीं किया गया है। उक्त पत्र के निर्देशों की अनुपालना में नगरपालिका कलानौर सीमा में स्थित आमजन के लिए प्रयोग होने वाली गलियों (आबादी देह/लाल डोरे, वर्ष 2004, वर्ष 2014 व वर्ष 2024 में स्वीकृत कालोनियों व 5 प्रस्तावित कालोनियों एवं शेष खंड {Patches} इत्यादि के अधीन आने वाली सभी गलियों) को सार्वजनिक गली घोषित किया जाना उचित होगा। अतः रिपोर्ट स्वीकृति एवं आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

As proposed by JE on 'A'

07/03/2025

Secy  
12/03/25  
w/DMC

12/3 w/Adm

12/3  
Administrator  
Municipal Committee Kalanaur-cum  
S.D.O. Kalanaur

KEEP HARYANA CLEAN AND POLLUTION FREE